

( राजस्थान १-राजस्थान अधिनियम, 1988 के नियम 138 के अन्तर्गत )

राजस्थान रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता नंबर	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खात का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	विवरण
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	07	1192 1193 1194 1195 1196 1355 1369 1372 1373 1374 1420	0.3288 0.1270 0.6322 0.4424 0.0622 0.0126 0.0075 0.0114 0.0840 0.3188 0.0728	<p>① डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पति-जयसिंह</p> <p>रज-कलकत्ता जयसिंह क-कलकत्ता</p>	<p>① डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पति-जयसिंह</p> <p>रज-राजस्थान जयसिंह क-राजस्थान</p>	123/2025

मुतादिक मिसल/जमाबन्दी संख्या के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० यू० राजस्थान अधिनियम 1988 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी प्रहोदय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।

साविक राजस्थान रेकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रहोदय को पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खात में शुद्धि किया जाना उचित है।

महलका मूखवर्ग के साविक रेकार्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्दीवस्त सक्षियको के शीमान/पुर्ण का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी प्रहोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

महलका मूखवर्ग के राजस्थान अधिकारी रिपोर्ट व साविक रेकार्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धिकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। शत जमावदी में जमल किया जावे।

दिनांक 09/11/25  
पटवार महोदय (पुण्डरीक)  
तहसील-आवरोड (राजस्थान)

07/11/25  
पटवार महोदय (पुण्डरीक)  
तहसील-आवरोड (राजस्थान)

08/04/25  
पटवार महोदय (पुण्डरीक)

उपखण्ड अधिकारी  
07/11/25